भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 815

सोमवार, 25 जुलाई, 2022 (श्रावण 3, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>हवाई अड्डों के निजीकरण से सृजित आस्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी</u>

815. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न हवाई अड्डों के निजीकरण से सृजित आस्तियों से कई राज्यों द्वारा हिस्सेदारी की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हवाई अड्डों के निजीकरण से सृजित आस्तियों में राज्यों द्वारा मांगी जा रही हिस्सेदारी का आधार क्या है; और

(घ) क्या सरकार राज्यों की मांग के अनुसार उन्हें हिस्सेदारी देने पर विचार कर रही है?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))</u>

(क) से (घ): जी हां। एक राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि, यदि किसी राज्य में स्थित हवाईअड्डे का निजीकरण किया जाता है, तो हवाईअड्डे के विकास हेतु, राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को दी गई भूमि के मूल्य को, हवाईअड्डा परियोजना विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) में राज्य सरकार की इक्विटी के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए अथवा निवेश के अनुपात में राजस्व के बटवारे की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा हवाईअड्डे की भूमि का अधिग्रहण और हस्तांतरण स्वेच्छा से और बिना किसी शर्त के किया जाता है और इसलिए, भाविप्रा अधिनियम, 1994 की शर्तों के

अनुसार, हवाईअड्डे की भूमि, भाविप्रा के पास होती है। इसलिए, इस तथ्य की परवाह नहीं करते हुए कि हवाईअड्डों का प्रचालन भाविप्रा द्वारा स्वयं किया जा रहा है या तीसरे पक्ष के माध्यम से पट्टे द्वारा भाविप्रा द्वारा ऐसी भूमि से अर्जित किए जाने वाले राजस्व पर राज्य सरकार, दावा नहीं कर सकती है।

भाविप्रा के हवाईअड्डों का निजीकरण नहीं किया गया है, बल्कि वे निजी क्षेत्र की दक्षता और निवेश का उपयोग करते हुए, बेहतर प्रबंधन हेतु जनहित में पट्टे पर दिए गए हैं। पट्टे की अवधि के दौरान भी, हवाईअड्डा भूमि पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का स्वामित्व बना रहता है और रियायत करार के अनुसार, पट्टावधि समाप्त होने पर भूमि एवं अन्य संपत्तियाँ, वापस भाविप्रा के पास आ जाएंगी।

इसके अलावा, राज्य तथा इसके निवासी, निजी भागीदार, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत, पट्टे पर लिए गए हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करते हैं, द्वारा निर्मित, उन्नत हवाईअड्डा अवसंरचना एवं सुविधाओं के असली लाभार्थी हैं। हवाईअड्डे, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और इनका राज्य की अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। भाविप्रा, पट्टे से प्राप्त राजस्व का उपयोग, देश भर में हवाईअड्डों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी करता है।